



म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम) CIN: U40109MP2001SGC014880

रजिस्टर्ड ऑफिस: ब्लाक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

दूरभाष: (0761) 2702036, 2702041 e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in, website: mptransco.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/ 3453

दिनांक 5 DEC 2023

आदेश

आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/2397-98 दिनांक 11.08.2023 के तारतम्य में सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनर के साथ म.प्र.राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनरों/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को छठवें वेतनमान के अनुसार 212% एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 38% की दर से मंहगाई राहत देय है। म.प्र.शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-2/2023/नियम/चार दिनांक 31 अगस्त, 2023 के अनुक्रम में उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 जुलाई 2023 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी:-

क्रमांक	अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर (प्रतिशत में)		वृद्धि के परिणामस्वरूप मंहगाई राहत की दर (प्रतिशत में)	
		छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
1	दिनांक 01 जुलाई, 2023 से देय (माह जुलाई 2023 की पेंशन/परिवार पेंशन, अगस्त, 2023 में देय)	9%	4%	221%	42%

- 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।
- इस आदेश के उपरांत बढी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह दिसम्बर 2023 की पेंशन/ परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।
- माह जुलाई 2023 से नवम्बर 2023 की मंहगाई राहत में वृद्धि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान माह दिसम्बर 2023 से अप्रैल, 2024 तक पांच किशतों में, पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जावेगा।
- मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय मंहगाई राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण (Commutation) के पूर्व की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)


क्रमशः 2-

क्र. अस/एमपीपीटीसीएल/पांच/ 3454
प्रतिलिपि:-

दिनांक 5 DEC 2023

01. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 02. कार्यपालक निदेशक (सीआरए)/(मा.संसा.वि.सं.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 03. मुख्य अभियंता(आर ओ सी)/(अउदा-संथा.)/(सतर्कता)/(कार्य)/(प्रोक्योरमेंट)/(परीक्षण एवं संचार.)/(अउदा-निर्माण)/(ट्रांस-पूर्व क्षेत्र)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(योजना एवं रूपांकन), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 04. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पावर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर।
 05. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पावर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
 06. मुख्य महाप्रबंधक (मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि.,जबलपुर/भोपाल/ इंदौर।
 07. मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं आईटी-ईआरपी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 08. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन-पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-मध्य क्षेत्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., इंदौर/ भोपाल।
 09. अधीक्षण अभियंता (आईटी-ईआरपी)/(परी.एवं संचा.)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/ 400 के.व्ही. (परीक्षण) वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
 10. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि)/(लेखा), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 11. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
 12. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लाट नं. सी-19, 'E' ब्लॉक, प्रकाश गंगा, 7वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई-400051.
 13. अति. महाप्रबंधक (मा.सं.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
 14. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधारण)/(कर्मशाला)/ 400 के.व्ही. (परीक्षण) / (उप भार प्रेषण केंद्र), संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.....
 15. उप निदेशक (भविष्य निधि)/(पेंशन)/(सी.एस.सी.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 16. कंपनी सचिव/कल्याण अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 17. निज सचिव संबद्ध प्रबंध संचालक, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 18. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
 19. लेखाधिकारी (वेतन), कार्या.मुख्य वित्तीय अधिकारी,म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
 20. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि.,
 21. वेब मास्टर (आईटी-ईआरपी सेल), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर को बेवसाइट में अपलोड करने हेतु।
- टीप:- सरल क्रमांक 4, 5 एवं 6 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।


अतिरिक्त मुख्य अभियंता-दो
कार्या. मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)